

(दिल्ली राजपत्र भाग 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कार्यालय आबकारी आयुक्त  
एल-ब्लाक, विकास भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली

सं0फा0 10(56)/आब./आई.एम.एफ.एल./96.97/55-67 दिनांक : 4/4/14

अधिसूचना

दिल्ली आबकारी नियमावली 2010 के नियम-52 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होने वाले दिल्ली लोक सभा के आम चुनाव-2014 के कारण दिल्ली में निम्नलिखित तारीखों को शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया जाता है जो कि सभी एल-1, एल-1एफ, एल-2, एल-3, एल-4, एल-5, एल-6, एल-6एफजी, एल-6एफई, एल-7, एल-7एफजी, एल-7एफई, एल-8, एल-9, एल-10, एल-11, एल-12, एल-12एफ, एल-14, एल-15, एल-15एफ, एल-16, एल-16एफ, एल-17, एल-17एफ, एल-18, एल-18ए, एल-18एफ, एल-18एएफ, एल-19, एल-19एफ, एल-20, एल-20एफ, एल-21, एल-21एफ एल-22, एल-23, एल-23एफ, एल-25, एल-26, एल-27, एल-28, एल-28एफ, एल-29, एल-29एफ, एल-31, एल-32, एल-33, एल-34, एल-35, पी-10 और पी-13 लाईसैंस धारकों और अफीम की दुकानों पर लागू होगा।

- दिनांक 08.04.2014 ( मंगलवार ) सायं 6.00 बजे से दिनांक 10.04.2014 (वहस्पतिवार) सायं 6.00 बजे तक - मतदान दिवस।
- दिनांक 16.05.2014 ( शुक्रवार ) मतगणना दिवस सायं 6.00 बजे तक।

उपरोक्त दिन इस प्रशासन की दिनांक 13.01.2014 की अधिसूचना संख्या सं0फा0 10(56)/ आब./आई.एम.एफ.एल./96.97/6175-6189 के अनुसार घोषित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त शुष्क दिवस होंगे।

3645/JT-CEO

4/4/2014

dy 4/4/2014

(अमर नाथ)

आबकारी आयुक्त

सं0फा0 10(56)/ आब./आई.एम.एफ.एल./96.97/55-67 दिनांक : 4/4/14

प्रतिलिपि :-

- माननीय उपराजपाल के प्रधान सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- प्रधान सचिव (वित्त) दिल्ली सरकार, दिल्ली।

Handwritten signatures and initials:   
- A signature with '4/4/14' written below it.   
- A signature with 'NB (E&F)' written below it.   
- A signature with 'LEO (CoE)' written below it.   
- A signature with '4/4/14' written below it.

4. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
5. पुलिस आयुक्त दिल्ली ।
6. संयुक्त चुनाव आयुक्त, राज्य चुनाव आयोग, दिल्ली सरकार, कश्मीरी गेट, दिल्ली । 5-7
7. उपायुक्त व सचिव (वित्त), दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
8. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार (वृहद प्रचार के लिए)
9. उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग दिल्ली सरकार (दिल्ली राजपत्र के प्रकाशनार्थ)
10. अवर सचिव (विधि), दिल्ली सरकार, दिल्ली ।
11. उपायुक्त (आबकर)
12. सभी भाखा अधिकारी, आबकारी विभाग, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने नियंत्रण के समस्त लाईसैंसधारियों को यह अधिसूचना परिचालित कराएं ।
13. समस्त आबकारी निरीक्षक/उपनिरीक्षक को आवश्यक पालन हेतु ।
14. प्रबंध निदेशक, डी.एस.आई.डी.सी./डी.टी.टी.डी.सी./डी.एस.सी.एस.सी./डी.सी.सी.डब्ल्यू.एस. ।
15. समस्त एल-7 एवं एल-12 लाईसैंसधारी ।
16. गार्ड फाईल ।

dm 4/4/2014  
(अमर नाथ)  
आबकारी आयुक्त